

## प्रारूप-36

**परियोजना का विवरण—** गान्धीय मुख्यांगती प्रोपण संख्या-305/2014 के अन्तर्गत जनपद दिल्ली गढ़वाल के विधानसभा होत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी रो जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.250 किमी)

### मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण-पत्र मानक थार्ट

1. भूमि हरतान्तरण के बाद भी उसके उसके वैधानिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह भी भूमि की शक्ति संवित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदाचित नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हरतान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि गाँधी गाई भूमि चूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हरतान्तरीय विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा उपकारी वन भूमि को किसी प्रकार की शक्ति नहीं पहुँचानेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्माणित युआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा, जिसके बाहर विभाग सहमत है।
6. भूमि का शीमांकन याचक विभाग अपने व्यय रो रामबनित वनाधिकारी की देर-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में कामये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हरतान्तरण वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हरतान्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगा।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा रो आत्मदित एवं वन जन्तुओं रो भरपूर वन शोअंगों का हरतान्तरण यान्त्रामात्र प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों रो ही ऐसा किया जाना सामग्र छोगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह छोगा कि वन सम्पदा की शक्तिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हरतान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल विभाग द्वारा वन विभाग की नरसारियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की नियुक्त जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हरतान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष की हरतान्तरित करने पर वन भूमि रखता विना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हरतान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि रखता विना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. राडक निर्माण के प्रस्तावों पर एलाइनेमेट राय होते सामग्र राष्ट्रीय रतार पर वन विभाग का परामर्श राजनीतिविभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अग्रिमता, राजनीतिविभाग के अतिरिक्त मुख्य अग्रिमता, पर्वत शोत्र पौधों को साम्बोधित पत्र संख्या 608 रुपी दिनांक 10-2-82 में निर्दित आदेशों का पालन भी राजनीतिविभाग द्वारा किया जायेगा कि अस्वार्थी वनाना अथवा वन मार्गों को फेर बदल कर पकवा करना याचक विभाग के खर्च रो पर्याप्त न होगा और नई राडक का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आकिलित होना जो याचक विभाग को गान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निरतारण वन विभाग उठप्र० वन विभाग अथवा और कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित रामझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण रो वृक्षों का निरतान्तरण वन विभाग द्वारा सामग्र न हो राके उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव पर गूल्य देय होगा।
14. हरतान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हरतान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रतावित भूमि के दुगने गैर वानिकी शोत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 गर्म तक परिषोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री रो अधिक छाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी नियमित है, इसी प्रकार बाज के पैडों पर पातन भी नियमित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक रतार पर ही होगा।
15. वन भूमि के ऊपर रो विद्युत लाईन ले जाने में यान्त्रामात्र पैडों का कटान नहीं किया जायेगा। या खण्डों को ऊचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि किर भी पैडों का कटान अविनाशी प्रतीत होता है तो चूनतम पैडों की रक्षा संयुक्त रूप से निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर रास्थान का अनुप्रोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रास्थान की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पकवा करना अग्र आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग रस्य अपने व्यय रो करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत राकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो याचक विभाग को गान्य होगी।
18. वन भूमि का बाहरपक्ष हरतान्तरण तारी किया जाय, जब उच्च शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका सम्बन्धित रतार से आश्वारान प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शारान तथा भारत राकार द्वारा लगाई गई शर्त याचक विभाग को गान्य है।

कमिश्न अग्रिमता  
निर्माण खण्ड, लो०गी०गिठ  
नरेन्द्रनगर।

संलग्न  
कमिश्न अग्रिमता  
निर्माण खण्ड, लो०गी०गिठ  
नरेन्द्रनगर।

अविनाशी प्रतीत  
निर्माण खण्ड, लो०गी०गिठ  
नरेन्द्रनगर।